इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 15/05/2017 को विशेष कार्याधिकारी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/प्रभारी प्रवर्तन श्री अलोक कुमार पाण्डेय, एस0डी0एम0–सदर श्री वैभव मिश्रा एव क्षेत्राधिकारी श्री डी0पी0 तिवारी के नेतृत्व में छोटा बघाड़ा,बक्सी बांध के नीचे बघाड़ा जहीरूददीन छोटा बघाडा में राजकीय आस्थान की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण एव गगा नदी के उच्चतम बाढ स्तर एवं उससे 500 मीटर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की व्यापक कार्यवाही करते हुये श्री उमेश चन्द यादव, द्वारा बनाये गये लगभग क्षेत्रफल 20X30, फिट श्री गुलाब चन्द पाल, लगभग क्षेत्रफल 25X50 फिट भूतल,श्री इम्तियाज अहमद लगभग क्षेत्रफल 25X35 फिट भूतल,श्री विजय पाल यादव लगभग क्षेत्रफल 25X50 फिट भूतल,श्री विष्णु लगभग क्षेत्रफल 15X45 फिट भूतल के पक्के निर्माणों को ध्वस्त कराया गया। इसके अतिरिक्त 15 अन्य स्थायी व अस्थाई निर्माणों/ टीनसेड एवं दीवालों,बाउन्ड्रीवाल आदि को ध्वस्त कराया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान राजकीय आस्थानकी लगभग10 बीघाभूमि भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया जिसका मूल्य लगभग 20 करोड होगी अभियान के दौरान क्षेत्रीय नागरिको एवं आराजक तत्वो द्वारा कड़ा विरोध एवं पत्थर बाजी किया गया जिसे पुलिस बल द्वारा बल का प्रयोग करते हुये उक्त कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यवाही की गयी।

तत्पश्चात विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा श्री महारानी दीन जायसवाल बंगला न0– 4 भवन संख्या– 253/10 एम0जी0मार्ग द्वारा भू उपयोग के विरूद्ध चलाये जा रहे महारानी जायका रेस्टोरेन्ट एवं श्री राकेश गुलाटी 257 यम0जी0मार्ग द्वारा भूतल एवं प्रथम तल पर भू उपयोग के विरूद्ध चलाये जा रहे एल0जी0शोरूम को सील कराया गया।

उक्त कार्यवाही में उपर्युक्त अधिकारियो के अतिरिक्त सम्बन्धित थाना व चौकी की फोर्स एवं पी0ए0सी0बल तथा प्राधिकरण की फोर्स, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री डी0के0 पाण्डेय, भवन निरीक्षक श्री आर0एन0 आजाद, श्री एस0पी0 सिंह,विजय शंकर पाण्डेय, श्री कुवर आनन्द आदि उपस्थित रहे। जोनल अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इसी प्रकार अभियान निरन्तर जारी रहे रहेगा।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपिः– सम्पादक–समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

15/5/17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क